

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि रानीखेत छावनी क्षेत्रान्तर्गत निम्न सम्पत्ति में दाखिल खारिज की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

क्र० सं०	वर्तमान पट्टेधारक का नाम	उन व्यक्तियों का नाम जिनके नाम पर दाखिल खारिज की कार्यवाही की जानी है।	मकान संख्या एवं स्थल का नाम	सर्वे संख्या
1	श्री हरिराम पुत्र श्री मोती राम	श्री किरन लाल पुत्र श्री शिरोमणी, श्री भाष्करानन्द, देवेन्द्र कुमार पुत्रगण श्री श्रृद्धानन्द, श्री कौशलेन्द्र कुमार, श्री हितेन्द्र कुमार पुत्रगण श्री सुरेन्द्र लाल	683	99/17
2	श्री लच्छी लाल साह पुत्र श्री ईश्वरी लाल साह	श्री राजेन्द्र लाल साह पुत्र श्री लच्छी लाल साह	340	99/241
3	श्री हरि राम पुत्र श्री चनी राम	श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री हरि राम	667	99/5

अतः यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्तानुसार दाखिल खारिज किये जाने में कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 30 दिवस भीतर अपनी लिखित आपत्ति मय साक्ष्यों के छावनी परिषद, कार्यालय में प्रेषित कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार न करते हुये दाखिल खारिज की कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायेगी। यह नाम परिवर्तन कर भुगतान हेतु किया जा रहा है जिसका भूमि पर मालिकाना हक से कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि भूमि भारत सरकार की है।

अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा कार्यालय की वेबसाईट www.cbranikheth.org.in पर लॉगआन किया जा सकता है।

पत्रांक : 261 / म्यूटेशन-एड / 2019-20

दिनांक : 21 जून, 2019

अभिषेक आजाद भा0र0स0से0,
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, रानीखेत।

प्रतिलिपि / Copy to :

1. श्री भाष्करानन्द,
मकान सं० 683, सर्वे संख्या 99/17, राजपुरा, रानीखेत।
2. श्री राजेन्द्र लाल साह पुत्र श्री लच्छी लाल साह,
सर्वे संख्या 99/241, जरूरी बाजार, रानीखेत।
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व० श्री हरि राम,
मकान सं० 667, राजपुरा, रानीखेत।

को इस आशय से सूचनार्थ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति समाचार पत्र में आपके खर्चे पर प्रकाशित की जा रही है, जिसके भुगतान की सूचना आपको बाद में प्रेषित की जायेगी।